आर.ई–अ.ज. : 30

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001

No 1377

क्र.अविविनिलि / अ.एवं प्र.नि / अअ(योजना) / प. / प्रे. दिनांक

18 JUN 2002

आदेश–192

विषयः कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

पूर्व विद्युत मण्डल द्वारा जारी कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय सस्करण) के पैरा 18 में कृषि कनेक्शन को उसी गाँव अथवा साथ के गाँव में स्थानान्तरित करने बाबत प्रावधान है। इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3.6.2002 में राज्य के कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:

1. यदि कनेक्शन हो जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन वही रखना उपभोक्ता के वश में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गाँव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। यह सुविधा वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं कुंआ खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लीज़ पर आवंटन होने पर भी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा।

2. कुंआ सूख जाने की स्थिति में एक स्थान से कनेक्शन दूसरे स्थान पर वर्तमान उपभोक्ता के पिता, पति, पत्नि, माता, भाई, बहन, बेटे, बेटी के नाम से जमीन में उसी टैरिफ श्रेणी में मीटर्ड प्रणाली से शिफ्ट किया जा सकता है जिसके लिये वर्तमान उपभोक्ता / उपभोक्ताओं की सहमति आवश्यक है।

3. अभी यह प्रावधान किया हुआ है कि कृषि कनेक्शन मात्र कृषि भूमि पर ही देय है परन्तु ग्रामीण श्रेत्रों में जिन कृषकों के खेत में कुंआ सूख जाने अथवा पानी खराब होने के कारण कुंआ अपने जमीन के पास स्थित आबादी भूमि (बाड़ा इत्यादि) में खुदवाकर कनेक्शन शिफ्ट

करवाना चाहते है, उन्हें कृषि कनेक्शन इस भूमि में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में शिफ्ट किया जा सकता है।

4. उपरोक्त सभी कनेक्शनों को शिफ्ट करने की आज्ञा प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कुंआ सूखा है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच, हल्का पटवारी एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जारी किया हुआ हो। साथ ही सहायक अभियन्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगें कि पूर्व कुंऐ के लिये खींची गई अनुपयोगी एच.टी. /एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि हटा (DISMENTLE) कर स्टोर में जमा कर दिये गये हैं। इस प्रकिया के पश्चात ही सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगें।

5. यदि कनेक्शन एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड मे स्थानान्तरित किया जाना हो तो उस दशा में कनेक्शन स्थानान्तरित करने की फाइल की पत्रावली उसी उपखण्ड में जमा करवानी होगी जहां पर कनेक्शन को स्थानान्तरित किया जाना है। इस दशा में नवीन कुऐं का तकमीना बनाकर पूर्व उपखण्ड मे कार्यवाही के लिये फाइल को भेजा जायेगा तथा पूर्व उपखण्ड में उपभोक्ता को सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाकर एच. टी./एल.टी. लाईन व ट्रांसफार्मर इत्यादि को एवं उपभोक्ता का नाम रिकार्ड से हटाकर पुरानी पत्रावली सहित नये उपखण्ड में भेज दिया जायेगा। नये स्थान पर तकमीना नये कनेक्शन की तरह एल.टी. रहित प्रणाली से बनाया जायेगा। कनेक्शन का नये स्थान पर लोड नहीं घटाया जायेगा। कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने के खर्चे उपभोक्ता से पूर्व में जारी ओदशानुसार ही लिये जायेंगें। इसके पश्चात ही अधिशाषी अभियन्ता से स्वीकृति लेकर, नया उपभो क्ता नम्बर देकर, कनेक्शन मीटर प्रणाली में चालू कर दिया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

9.1.2018

(करणी सिंह राठौड़)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.अजमेर

12/user-Tanwar,Steno/F,RE-circular

50